प्रेस विज्ञप्ति

19.02.2026

एर्नाकुलम स्थित माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 10.02.2026 के अपने आदेश द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पॉपुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में कुर्क की गई 65.07 करोड़ रुपये (चल संपत्ति 33.20 करोड़ रुपये + अचल संपत्ति 31.87 करोड़ रुपये) की संपत्तियों को अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (बीयूडीएस अधिनियम) के तहत सक्षम प्राधिकारी को वापस कर दिया है। पीएमएलए जांच के दौरान ईडी द्वारा दिनांक 17.09.2021 और 29.12.2021 के अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से इन संपत्तियों को कुर्क किया गया था, जिनकी बाद में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई थी।

ये दस्तावेज ईसीआईआर संख्या KCZO/32/2020 दिनांक 17.09.2020 के संबंध में संलग्न किए गए हैं, जो आईपीसी की धारा 120बी, 420, 406, 409, 471 और बीयूडीएस अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित अपराधों के आधार पर पंजीकृत है। इस मामले में पॉपुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके प्रवर्तकों/निदेशकों/साझेदारों, अर्थात् श्री थॉमस डेनियल, श्रीमती प्रभा थॉमस, श्रीमती रिनू मरियम थॉमस, सुश्री रीबा मैरी थॉमस, श्रीमती रिया एन थॉमस और अन्य द्वारा जमाकर्ताओं के साथ व्यापक धोखाधड़ी शामिल है।

पीएमएलए की धारा 44/45 के तहत अभियोग शिकायत 30.04.2022 (एससी संख्या 392/2022) को और पूरक शिकायत 31.07.2023 को दर्ज की गई थी। ईडी ने दो मुख्य आरोपियों - श्री थॉमस डेनियल और श्रीमती रिनू मरियम थॉमस - को 09.08.2021 को गिरफ्तार किया था।

बीयूडीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 17.12.2024 के डब्लूपी(सी) संख्या 22221/2024 के निर्देशों के बाद पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत विशेष पीएमएलए न्यायालय से संपर्क किया। ईडी ने अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिससे वास्तविक जमाकर्ताओं/पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा देने में सुविधा हुई।

माननीय विशेष न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्रभावित जमाकर्ताओं (जो दोनों कानूनों के तहत समान हैं) के हितों की रक्षा करना आवश्यक है और इस हस्तांतरण से बीयूडीएस प्राधिकरण को परिसंपत्तियों का न्यायसंगत मूल्यांकन और वितरण करने में सहायता मिलेगी। अभियुक्तों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को बीयूडीएस प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए खुला रखा गया है।
अब इन संपत्तियों को केरल सरकार के सक्षम प्राधिकारी (गृह विभाग के सचिव, जिनका प्रतिनिधित्व एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर कर रहे हैं) को बीयूडीएस अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही के लिए सौंप दिया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय देशभर में उन निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जिन्हें बेईमान व्यक्तियों द्वारा ठगा गया है।